# न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
## पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 44/2021

वादी :–

रामुराम पुत्र गोकलराम जाति राव (भाट) निवासी मेरासिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, पीपाड़ शहर
2. जानकी पत्नि सागरराम
3. मुकेश पुत्र सागरराम जाति राव (भाट) निवासी मेरासिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम**

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री रामदयाल चौधरी वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

**निर्णय** दिनांक 12.11.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेरासिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा मे प्रार्थी व अन्य की खातेदारी कब्जासुद भूमि खाता सं. 110 में कृषि भूमि में खसरा नं. 126 क्षैत्रफल 1.1326 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम,खसरा नं.127 क्षैत्रफल 2.4270 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 132 क्षैत्रफल 1.5371 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि जो राजस्व रेकार्ड इन्द्राजसुदा है इसी प्रकार खाता सं. 29 में खसरा नं. 178 क्षैत्रफल 0.8818 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नं. 180 क्षैत्रफल 1.1569 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरे 2 कुल क्षैत्रफल 2.0387 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजसुदा है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र गोकलराम अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामुराम पुत्र गोकलराम है जिसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ, प्रतिवादीगण सं. 2, 3 के सम्मन बाद चस्पानगी तामिल अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मेरासिया के खसरा नम्बर 126, 127, 132, 178 180 में दर्ज नाम रामलाल पुत्र गोकलराम के स्थान पर रामुराम पुत्र गोकलराम किया जाता है तो तहसीलदार पीपाड़ शहर को कोई आपति नही है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो एवं प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मेरासिया के खसरा नम्बर 126, 127, 132 178, 180 में दर्ज नाम दर्ज नाम रामलाल पुत्र गोकलराम के स्थान पर रामूराम पुत्र गोकलराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आज सुनाया गया ।

(दूदाराम)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)